कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–36, अंक – 1 | जनवरी 1–15, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–6

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह की ओर से नए साल का अभिवादन

साथियों,

वर्ष 2021 समाप्त हो गया है। देशभर में करोड़ों–करोड़ों मज़दूरों और किसानों के बहादुर और दृढ़ संघर्ष का वर्ष था।

मज़दूरों के बढ़ते जन–विरोध यह दिखाते हैं कि वे अपनी दुखद हालतों से बहुत असंतुष्ट और बहुत गुस्से में हैं। लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियां ख़त्म हो गई हैं और वेतन में कटौती की गई है। ऊपर से संसद में 2020 में मज़दूर–विरोधी और पूंजीपति–परस्त लेबर कोड पास किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 2021 में सार्वजनिक संसाधनों के निजीकरण की गति को और तेज़ कर दिया है। रेलवे, कोयले की खदानों, बैंकिंग, बीमा, बिजली, टेलीकॉम, रक्षा उत्पादन, बंदरगाह और बड़े–बड़े उद्योग और सेवा के अन्य क्षेत्रों के मज़दूर निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष में एकजुट हो गए हैं। वे यूनियन और पार्टी के संबंधों से ऊपर उठकर, एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं।

500 से अधिक किसान यूनियनों का अपनी सांझी मांगों के इर्द–गिर्द एकजुट हो जाना, यह एक बहुत बड़ा क़दम है। किसानों का लंबा संघर्ष यह दिखाता है कि उदारीकरण का कार्यक्रम, जिसका मक़सद है कृषि पर इजारेदार पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ाना, उस कार्यक्रम को हराने में किसान डटे हुए हैं।

लोग राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और हर प्रकार के राजकीय आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। लोग मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों तथा हिन्दोस्तान में बसे हुए विभिन्न राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों के अधिकारों के हनन का विरोध कर रहे हैं।

मज़दूर–किसान जन समुदाय अब यह पहचान रहे हैं कि वे एक सांझे दुश्मन, यानी देशी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि मंत्रीमंडल इजारेदार पूंजीपतियों के पक्ष में सारी नीतियों पर फ़ैसला करता है। संसद लोगों की रोज़ी–रोटी को छीनकर और अधिकारों को कुचल कर, इजारेदार पूंजीपतियों के अधिक से अधिक मुनाफ़ों की लालच को पूरा करने के लिए कानून बनाता है।

आज वक्त की मांग है कि एक सांझे कार्यक्रम के इर्द–गिर्द राजनीतिक एकता बनाकर, मज़दूर–किसान गठबंधन की हिफ़ाज़त की जाए और उसे मजबूत किया जाए। हमें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के पूंजीवादी कार्यक्रम के विकल्प के इर्द–गिर्द ,मज़दूरों और किसानों की एकता बनानी होगी। वर्तमान संसदीय व्यवस्था, जिसके अंदर लोगों को सत्ता से दूर रखा जाता है और लोगों के अधिकारों को कुचल दिया जाता है, उसके विकल्प के इर्द–गिर्द हमें मज़दूरों और किसानों की एकता बनानी होगी।

साथियों,

पूंजीपति वर्ग की हकूमत की यह व्यवस्था इस भ्रम पर आधारित है कि इसमें सभी वर्गों के लोग अपनी पसंद की पार्टी को चुनकर, उसे सरकार में लाकर, अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। हाल के वर्षों में मज़दूरों और

किसानों के हित में यही होगा कि वे मिलजुल कर यह फ़ैसला करें कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या क़दम उठाएंगे।

किसानों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसके साथ–साथ, भाजपा का कोई भरोसेमंद देशव्यापी विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। यह परिस्थिति पूंजीपतियों की हुकूमत के लिए ख़तरा पैदा कर रही है। हुक्मरान वर्ग ने एक भरोसेमंद संसदीय विपक्ष को विकसित करने की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, किसान आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश की है।

बीते वर्षों में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, कि किस प्रकार हुक्मरान पूंजीपति वर्ग ने अलग–अलग समय पर तथाकथित लोकतांत्रिक विकल्पों को बढ़ावा दिया है, ताकि इस भ्रम को बरकरार रखा जाए कि वर्तमान व्यवस्था में सभी वर्गों के हित पूरे हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण है जब 1977 में आपातकाल की स्थिति को खत्म किया गया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की सरकार की जगह पर एक नई जनता पार्टी की सरकार स्थापित की गई थी। हुक्मरान वर्ग ने दावा किया था कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना की गई है। कुछ थोड़े समय के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसान नेता, चौधरी चरण सिंह को हिन्दोस्तान का प्रधानमंत्री भी बना दिया। परंतु राजनीतिक सत्ता के वर्ग चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केंद्र सरकार इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा निर्धारित एजेंडा को ही लागू करती रही। मज़दूरों और किसानों को कुचलकर, बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने की दिशा में ही अर्थव्यवस्था चलायी जाती रही।

हुक्मरान पूंजीपति वर्ग पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनावों का इस्तेमाल करके, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को बनाए रखना चाहता है। इसके साथ–साथ, हुक्मरान वर्ग भाजपा के तरह–तरह के विकल्पों को भी परखना चाहता है। हमेशा की तरह, हुक्मरान वर्ग चुनावों का इस्तेमाल करके लोगों की जुझारू एकता को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। इतिहास से सबक सीखकर, मज़दूरों और किसानों को हुक्मरान वर्ग की इन सारी योजनाओं को नाक़ामयाब करना होगा।

किसानों के हित में यही होगा कि वे मिलजुल कर यह फ़ैसला करें कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या क़दम उठाएंगे। सभी किसान यूनियनों को एक ही कार्यदिशा के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अगर अलग–अलग किसान यूनियनें, अलग–अलग कार्यदिशाओं के अनुसार चलेंगी, तो यह किसानों के सांझे हितों के ख़िलाफ़ जाएगा। ऐसा करने से मज़दूरों और किसानों की जुझारू एकता कमजोर और नष्ट हो जाएगी। इससे हुक्मरान वर्ग को फ़ायदा होगा।

लोगों को बांटने और धोखा देने की हुक्मरानों की इन तरकीबों को नाक़ामयाब करने के लिए, हमें एक सांझे कार्यक्रम के इर्द–गिर्द मज़दूरों और किसानों का राजनीतिक मोर्चा बनाना होगा। इस मोर्चे का यह उद्देश्य होना चाहिए कि उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम को ख़त्म किया जाये और अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा, दिलाई जाये। इस राजनीतिक मोर्चे का मक़सद यह होना चाहिए कि लोगों के हाथों में संप्रभुता दिलाई जाये। इसके लिए एक ऐसा राज्य और संविधान गठित किया जाये, जो मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों तथा हिन्दोस्तानी संघ में बसे हुए सभी लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों को मान्यता देगा, उनकी हिफ़ाज़त करेगा और उनका हनन नहीं होने देगा। हमारे कार्यक्रम का यह उद्देश्य होना चाहिए कि हिन्दोस्तान के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को एक नई परिभाषा दी जाये, जो कि साम्राज्यवाद, कब्ज़ाकारी जंग और स्वतंत्र देशों के अंदरूनी मामलों में हर प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करने के असूलों पर आधारित होगी।

साथियों,

आज लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया के सभी पूंजीवादी देशों में। लोग राजनीतिक सत्ता के चरित्र और समाज के विकास की दिशा में एक गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए तरस रहे हैं। दुनिया के साम्राज्यवादी और पूंजीवादी राज्य तरह–तरह के पैशाचिक तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं – जैसे कि बड़े पैमाने पर झूठा प्रचार करना, जैविक युद्ध चलाना, लॉकडाउन लगाना और नाना प्रकार के संसदीय विकल्पों को बढ़ावा देना – ताकि मज़दूर वर्ग और लोगों को क्रांतिकारी विकल्प तलाशने से रोका जा सके।

आइए, क्रांतिकारी आशावाद के साथ वर्ष 2022 का स्वागत करें। आइए, हम हिम्मत और दृढ़ता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करें। वह दिन अब दूर नहीं है, जब सूरज हम सबके लिए चमकेगा। मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के लिए सूरज तब चमकेगा, जब हम पूंजीपति वर्ग की हकूमत को ख़त्म करेंगे और अपने हाथों में राज्य सत्ता लेंगे।

नए साल की शुभकामनाएं!
इंक़लाब ज़िंदाबाद!

http://hindi.cgpi.org/21730

1971 के युद्ध में हिन्दोस्तान की भूमिका पर

16 दिसंबर, 2021 को हिन्दोस्तानी शासकों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध में भारतीय सैनिकों की जीत के 50 साल पूरे होने पर "स्वर्णिम विजय दिवस" मनाया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर मुख्य समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान को याद किया। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, ढाका में स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए।

हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध, 13 दिनों तक, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था। हिन्दोस्तानी सेना और बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी की संयुक्त सेना के सामने, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ इस युद्ध का अंत हुआ। 16 दिसंबर, 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए थे।

हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने, हमेशा, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर सैन्य जीत का इस्तेमाल, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अंधराष्ट्रवाद और नफ़रत फैलाने के लिए किया है। साथ ही, हिन्दोस्तान और दुनिया के लोगों को गुमराह करने के लिए, शासक वर्ग ने हिन्दोस्तान द्वारा छेड़े गए युद्ध को "न्यायसंगत युद्ध" के रूप में चित्रित किया, जो उसने बांग्लादेश के लोगों के मुक्ति संघर्ष के समर्थन में किया। लेकिन सच्चाई यह नहीं है।

उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दोस्तानी राज्य के सैन्य–हस्तक्षेप को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। यह सीधे तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हमला था, जो साम्राज्यवादी

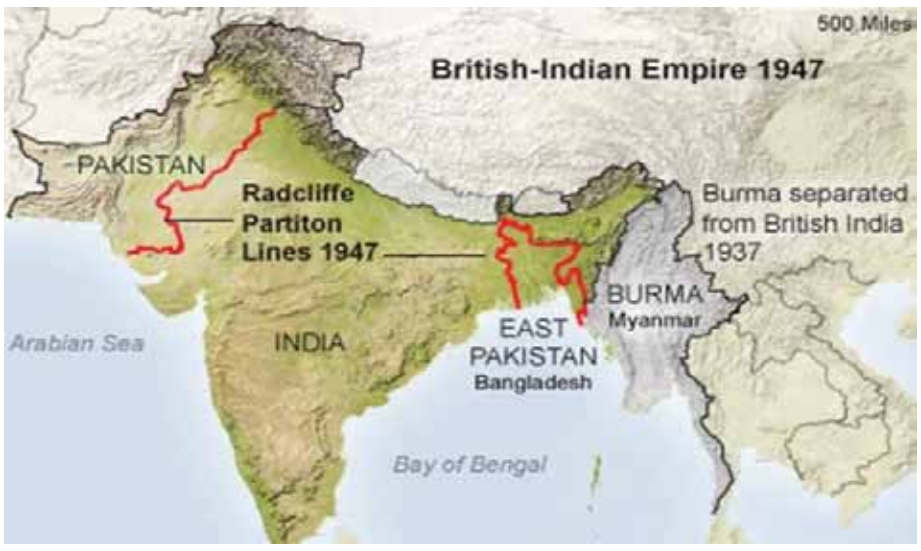

हिन्दोस्तानी उपमहाद्वीप का 1947 में बस्तीवादियों द्वारा किया विभाजन

उद्देश्यों से प्रेरित था। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली निवासियों की मुक्ति का समर्थन, केवल एक बहाना था।

हमें तथ्यों के आधार पर सच्चाई की तलाश करनी चाहिए और हमारे देश के शासकों के अंधराष्ट्रवाद से भरे प्रचार में नहीं फंसना चाहिए।

1947 में, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा आयोजित इस उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद, पाकिस्तान राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भौगोलिक रूप से लगभग 1600 किमी की दूरी हो गयी। हिन्दोस्तान और पाकिस्तान दोनों बहुराष्ट्रीय राज्य हैं, जिनमें कई राष्ट्र, राष्ट्रीयताएं और लोग शामिल हैं। दोनों देशों के शासक वर्गों ने अपने–अपने देशों के लोगों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का दमन किया है।

1971 के युद्ध से पहले के वर्षों में पाकिस्तान और हिन्दोस्तान दोनों के शासक वर्गों को अपने शासन को क़ायम रखने के लिए, कई अंदरूनी ख़तरों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर, बंगाली लोग अपनी भाषा और संस्कृति के दमन और उर्दू भाषा थोपे जाने के ख़िलाफ़, अपने राष्ट्रीय अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष करते आ रहे थे। वह संघर्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था, जहां विभिन्न राजनीतिक ताक़तें अलग होने की मांग उठा रही थीं। हिन्दोस्तान में भी, राष्ट्रीय अधिकारों की सुरक्षा की समस्या, उत्तर पूर्व, कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में कई जन–संघर्षों के रूप से व्यक्त हो रही थी। मज़दूरों और किसानों में व्यापक असंतोष था। युवा और छात्र कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के आह्वान पर सशस्त्र क्रांति के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे थे।

पाकिस्तान में, दिसंबर 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को पूर्ण बहुमत मिला, जो पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की मांग उठा रही थी। पाकिस्तानी शासक वर्ग ने सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी अवामी लीग को नहीं देने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक शासन लगा दिया। 25 मार्च, 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया और बांग्लादेश के लोगों के ख़िलाफ़ आतंक की मुहिम शुरू कर दी। 26 मार्च, 1971 को अवामी लीग ने ढाका में एक सार्वजनिक रैली में बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया।

ये घटनाक्रम उस समय हो रहे थे, जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। अंतरराष्ट्रीय

शेष अगले पृष्ठ पर

अमरीका के नेतृत्व में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन :

लोकतंत्र के झंडे तले दुष्ट साम्राज्यवादी लक्ष्य

अमरीकी लोकतंत्र की बदनाम स्थिति और विश्व स्तर पर मानवाधिकारों और राष्ट्रीय अधिकारों के उल्लंघन में अमरीकी राज्य के अभ्यास को देखा जाये तो, अमरीका के नेतृत्व में आयोजित यह शिखर सम्मेलन, एक बहुत ही बड़ा दिखावा था। दुष्ट भू–राजनीतिक उद्देश्यों वाले इस अमरीकी दिखावे में, प्रधानमंत्री मोदी का उत्साहपूर्वक भाग लेना, न केवल शर्मनाक है, बल्कि हिन्दोस्तानी लोगों के लिए एक ख़तरे का संकेत भी है।

9–10 दिसंबर, 2021 को अमरीकी राष्ट्रपति बिडेन ने दो "लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलनों" में से पहला आयोजित किया, जिसमें कुछ चुने हुए देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इसी दिन 10 दिसंबर, 1948 को 73 वर्ष पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। इसे मानवाधिकार दिवस बतौर जाना जाता है।

यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित किया गया, जब अमरीकी लोकतंत्र लगातार बदनाम होता जा रहा है। हाल के दिनों में अमरीका में कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के बावजूद, लाखों लोग पुलिस की नस्लवादी हिंसा का विरोध करने और अपनी बस्तियों की सुरक्षा पर लोगों के नियंत्रण की मांग को लेकर, सड़कों पर उतरे हैं। आम मज़दूर, महिला और युवा इस राजनीतिक प्रक्रिया से घृणा करते हैं जिसमें अरबपति इजारेदार पूंजीपतियों का समर्थन प्राप्त, दो आपसी स्पर्धा करने वाली पार्टियां हावी होती हैं। तथाकथित लोकतांत्रिक संस्थाएं शासक वर्ग के अंदर आपसी विवादों को भी शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में नाकामयाब हैं। सबसे अमीर पूंजीपतियों के हितों का ही प्रतिनिधित्व करने वाली मौजूदा व्यवस्था में लोग एक गुणात्मक परिवर्तन चाह रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद से बिडेन का यह आदेश है कि "लोकतांत्रिक नवीनीकरण" के नाम से, वह मौजूदा व्यवस्था को न केवल बरकरार रखे बल्कि उसे और भी सुंदर तरीक़े से पेश करके, लोगों को गुमराह करे।

अमरीकी राज्य, अपने नागरिकों के कई तबकों को रंगभेद के आधार पर इंसान से कम मानता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीका विश्व स्तर पर मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करता है। उसने राष्ट्रों और लोगों के ख़िलाफ़ अनकहे अपराध किए हैं, विभिन्न देशों में शासन परिवर्तन करने के लिए, कई अलग–अलग तरीक़ों से उन देशों में दख़लंदाजी की है। अमरीका ने कई देशों पर सशस्त्र आक्रमण करके उन पर कब्ज़ा भी किया है।

बिडेन के लिए यह ढोंग रचना कि उनकी सरकार विश्व स्तर पर मानवाधिकारों, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के उद्देश्यों का समर्थन कर रही है, एक बहुत ही बड़ा पाखंड है। यह एक बहुत बड़ा दिखावा है।

आज़ादी और लोकतंत्र के बारे में इन पाखंडी बयानों के पीछे, अमरीकी साम्राज्यवाद का उद्देश्य अमरीका के नेतृत्व में तथाकथित लोकतांत्रिक राज्यों का एक ब्लॉक बनाना है। इस ब्लाक का निशाना अमरीका के प्रतिस्पर्धी, उनके सहयोगी और साम्राज्यवाद–विरोधी राज्य हैं। बिडेन ने "लोकतंत्र–नवीनीकरण कोष" नामक एक पहल के तहत, 2022 में लाखों डॉलर खर्च करने का प्रस्ताव रखा, ताकि उन सभी देशों में, जिनमें अमरीका के मुताबिक "लोकतंत्र का अभाव" है, वहां और भी अधिक हस्तक्षेप किया जा सके ।

अगर हम इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किये गये देशों और आमंत्रित न किये गये देशों की सूची को देखें, तो अमरीकी साम्राज्यवाद का भू–राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिन देशों को आमंत्रित नहीं किया गया उनमें चीन, रूस, ईरान, क्यूबा, उत्तर कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की, दक्षिण–पूर्व एशिया के अधिकांश राज्य और कई अफ्रीकी राज्य शामिल हैं।

हालांकि पाकिस्तान को इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, उसने भाग लेने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उनके देश का किसी भी राजनीतिक ब्लाक का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, "शीत युद्ध के कारण दुनिया को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और पाकिस्तान इसी तरह के एक नए युद्ध में नहीं फंसना चाहता है"।

इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की उत्साहपूर्ण भागीदारी यह दिखाती है कि हिन्दोस्तानी शासक वर्ग अमरीका के साथ अपने रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करने को बहुत उतावला है। हिन्दोस्तानी राज्य ने अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके सहयोगियों की दुष्ट साम्राज्यवादी साज़िशों और तथाकथित "लोकतंत्र की परियोजनाओं" में सक्रिय रूप से सहयोग करने में बहुत रुचि दिखाई। यह न केवल हिन्दोस्तान के लोगों के लिये, बल्कि दुनिया के लोगों के लिए भी एक ख़तरा पैदा करती है। यह दक्षिण एशिया के सभी लोगों और इस क्षेत्र में शांति के लिये एक बड़ा ख़तरा है।

दुनिया के लोग चाहते हैं कि समाज में फैसले लेने की ताक़त पर इजारेदार पूंजीपतियों और उनकी पार्टियों को ख़त्म किया जाये। वे वर्तमान हालातों में गुणात्मक परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं, एक ऐसी नई व्यवस्था की तमन्ना रखते हैं जिसमें लोगों के पास, फैसले लेने की ताक़त हो और राज्य सभी के मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। वे एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने के इच्छुक हैं, जिसमें हर राष्ट्र और सभी लोगों को अपनी पसंद की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का मौलिक अधिकार हो। ये आकांक्षाएं, अमरीका की किसी भी पहल से पूरी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अमरीका एक ऐसा राज्य है, जो दुनिया में लोगों के अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन करता है और जिसका हर कदम विश्व में अपनी दादागीरी और प्रभुत्व जमाये रखने के मक़सद से प्रेरित है।

पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ मज़दूर वर्ग और अन्य शोषित जनता का संघर्ष और इसके साथ–साथ, साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ उत्पीड़ित राष्ट्रों और लोगों का संघर्ष ही दुनिया में एक ऐसा गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है जिसकी लोग तमन्ना रखते हैं।

http://hindi.cgpi.org/21694

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की 41वीं सालगिरह उत्साहपूर्वक मनाई गई

25 दिसम्बर, 2021 के दिन हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की स्थापना की 41वीं सालगिरह थी। इस खुशी के मौके को हिन्दोस्तान में और विदेश में पार्टी के संगठनों ने सभाएं आयोजित कीं। दिल्ली, मुंबई, टोरोंटो और अन्य स्थानों पर सभाएं आयोजित की गयीं।

इन सभाओं में वर्तमान स्थिति के बारे में पार्टी के विश्लेषण पर प्रस्तुतियां की गयीं और बाद में उन पर जोशभरी चर्चाएं हुईं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गीत और नृत्य शामिल थे।

सभाओं में मज़दूरों और किसानों के वर्तमान में बढ़ते संघर्षों तथा निजीकरण व उदारीकरण के कार्यक्रम के विरोध में उनकी बढ़ती एकता की समीक्षा की गयी।

इस अहम बात पर ज़ोर दिया गया कि संसदीय लोकतंत्र का अधिकाधिक पर्दाफ़ाश हो रहा है, कि यह हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व में पूंजीपति वर्ग की एक बर्बर तानाशाही है। शासक वर्ग इस भ्रम को फैलाना चाहता है कि सरकार चलाने के लिये एक बेहतर पार्टी या गठबंधन को चुनाव में जिताकर, मौजूदा व्यवस्था में ही लोगों की समस्याओं का हल पाया जा सकता है।

पूंजीवादी लोकतंत्र की व्यवस्था सबसे अच्छे तरीक़े से तब चलती है जब पूंजीपति वर्ग की ही दो पार्टियां या गठबंधन बारी–बारी से सरकार बनाते हैं। जब सत्ता में बैठी पार्टी का लोगों की नज़रों में पर्दाफ़ाश हो जाता है तब विपक्षी पार्टी उसका स्थान ले लेती है और नये तथा आकर्षक नारों के साथ उसी अजेंडे को लागू करती है। भाजपा का एक विश्वसनीय विकल्प तैयार करने के लिये शासक वर्ग ने किसान आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उनका उद्देश्य है कि चुनावी घमासान में, अधिकांश लोग एक नहीं तो दूसरी टोली के समर्थक बन जायें, ये दोनों ही टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी व अन्य इजारेदार घरानों के हित में सरकार चलाने योग्य हैं।

चर्चा के दौरान एक मूल विषय था पार्टी निर्माण व सुदृढ़ीकरण की ज़रूरत। इसमें बीते 41 सालों के हमारे महत्वपूर्ण अनुभवों से सबक लिये गये। साथियों ने उस परिस्थिति को याद किया जब पार्टी की स्थापना की गयी थी। उस समय अमरीका और सोवियत संघ के बीच स्पर्धा और समाजवाद के संसदीय रास्ते के दबाव के तले, कम्युनिस्ट आंदोलन के टुकड़े–टुकड़े हो रहे थे। जबकि वस्तुगत स्थिति क्रांति के लिये अनुकूल थी, तो मज़दूर वर्ग को एकताबद्ध कम्युनिस्ट नेतृत्व से वंचित रखा गया। ऐसी परिस्थिति में हमने हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग की एक अगुवा पार्टी बनाने का फ़ैसला लिया। हमने उसे एक ऐसी पार्टी बतौर स्थापित करने का बीड़ा उठाया, जिसमें सभी कम्युनिस्ट जुड़ सकेंगे, जो मज़दूर वर्ग और दबे–कुचले लोगों की राजनीतिक एकता बनायेंगी और समाज में प्रगति का रास्ता खोलेगी। हमने फ़ैसला लिया कि पार्टी का निर्माण सभी तरह के संशोधनवाद व मौकापरस्ती के ख़िलाफ़, मार्क्सवाद–लेनिनवाद के वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा।

इस बात को दोहराया गया कि हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग एक है, उसका उद्देश्य एक है, सरमायदारों के राज की जगह पर मेहनतकश किसानों के साथ गठबंधन में मज़दूर वर्ग की सत्ता स्थापित करके, सभी तरह के शोषण और दमन का ख़ात्मा करना। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिये मज़दूर वर्ग को अपना स्वतंत्र कार्यक्रम पेश करना होगा, जिसके इर्द–गिर्द मज़दूरों, किसानों और सभी दबे–कुचले लोगों को वह एकजुट करेगा।

हमें वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के पूंजीवादी कार्यक्रम और मौजूदा संसदीय व्यवस्था, जो लोगों को सत्ता से बाहर रखता है और उनके अधिकारों को रौंदता है, इनके विकल्प के इर्द–गिर्द एकता बनानी होगी। हमारी पार्टी सुनियोजित तरीक़े से मज़दूरों और किसानों को पूंजीपति वर्ग के समाज–विरोधी हमले से मुक़ाबला करने के संघर्ष में संगठित करते हुए, ऐसे कार्यक्रम से लैस करती आयी है।

साथियों ने याद किया कि 21 साल पहले हमारी पार्टी ने "एक मज़दूर वर्ग, एक कार्यक्रम, एक कम्युनिस्ट पार्टी" का नारा दिया था। उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास जाहिर किया कि मज़दूर वर्ग को अपने खुद के कार्यक्रम से लैस करने के संघर्ष के दौरान, हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एक ही पार्टी में एकता पुनर्स्थापित होगी। कम्युनिस्ट और मज़दूर आंदोलन में हानिकारक विचारों से संघर्ष करते हुए यह एकता पुनर्स्थापित होगी। संसदीय लोकतंत्र, मौजूदा हिन्दोस्तानी संघ और इसके संविधान का पर्दाफ़ाश करना इसके लिये खास तौर पर ज़रूरी है।

इन सभाओं में लोकतांत्रिक केन्द्रीयतावाद के संगठनात्मक सिद्धांत की रक्षा के महत्व पर ज़ोर दिया गया, जो हमारी पार्टी के निर्माण का आधार है। साथियों ने पार्टी को कमज़ोर करने वाले सभी रुझानों के विरोध में संघर्ष करने की महत्ता पर ज़ोर दिया, जिनमें शामिल हैं अराजकता, अहंकार और स्पर्धा। उन्होंने पार्टी की एकता की अपनी आंख के तारे के जैसे रक्षा करने की प्रतिज्ञा की।

साथियों ने पार्टी को स्थापित करने के लिये हिन्दोस्तान और विदेशों में किये बहादुर संघर्ष को याद किया। उन्होंने उन साथियों की याद को सलाम किया जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने मज़दूर वर्ग को संगठित करने और पूंजीपतियों के राज की जगह मज़दूरों और किसानों का राज स्थापित करने व हिन्दोस्तान में समाजवाद के मार्ग पर आगे बढ़ने के संघर्ष में मज़दूर वर्ग को नेतृत्व प्रदान करने के काम को दोहरी ऊर्जा से करने का संकल्प लिया।

इस बात को दोहराया गया कि हमारी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन का हिस्सा है। हम साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी जंग के ख़िलाफ़ हैं। हम क्रांति, राष्ट्रीय मुक्ति व समाजवाद के लिए, सभी देशों के मज़दूर वर्ग और लोगों के संघर्ष का समर्थन करते हैं।

इन सभाओं का माहौल पार्टी के साथियों का पार्टी की लाइन में विश्वास को दर्शाता है। यह साथियों द्वारा पार्टी की लाइन को दूर–दूर तक फैलाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिससे अपने देश में क्रांति और समाजवाद की जीत के लिये आत्मगत परिस्थिति तैयार होगी।

सभाओं का समापन अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग के गीत 'इंटरनेशनल' से किया गया।

http://hindi.cgpi.org/21732

1971 का युद्ध ...

पृष्ठ 2 का शेष

संबंधों पर दो महाशक्तियों, अमरीका और सोवियत संघ, के बीच स्पर्धा और मिलीभगत हावी थे। अमरीका का पाकिस्तान के साथ लंबे समय से सैन्य रणनीतिक गठबंधन चला आ रहा था। उस समय अमरीका ने सोवियत संघ के ख़िलाफ़ गठबंधन बनाने के लिए चीन से संपर्क बनाया।

हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करने का यह एक उपयुक्त समय है, ताकि उसे तोड़कर कमजोर किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिन्दोस्तान के इस क़दम को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिले, हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने अगस्त 1971 में हिन्दोस्तान–सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि – एक सैन्य संधि – पर हस्ताक्षर किया। इस संधि से सोवियत संघ को अमरीकी रणनीति का मुक़ाबला करने में मदद मिली।

हिन्दोस्तानी राज्य की एजेंसियों ने पूर्वी पाकिस्तान में अलगाववादी ताक़तों को मजबूत करने के लिए गुप्त रूप से काम किया। हिन्दोस्तानी सेना ने गुप्त रूप से मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण और हथियार दिये। सरकार ने कई महीनों तक एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रचार–अभियान चलाया, जिसमें बांग्लादेश में लोगों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का खूब प्रचार किया गया। साथ ही, पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लाखों–लाखों शरणार्थियों को हिन्दोस्तान के अंदर आने के लिए, हमारी पूर्वी सीमा को खोल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में हिन्दोस्तानी प्रतिनिधियों ने दावा किया कि शरणार्थियों की दिन पर दिन बढ़ती संख्या हिन्दोस्तान को अस्थिर कर रही है। ऐसा कहकर वे साबित करना चाहते थे कि हिन्दोस्तान के पास सैन्य हस्तक्षेप करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। 30 नवंबर, 1971 को सोवियत संघ ने हिन्दोस्तान द्वारा सैन्य–हस्तक्षेप किये जाने के लिए हरी झंडी दे दी।

बांग्लादेश के लोगों को आज़ाद कराने के नाम पर, हिन्दोस्तानी सेना ने वहां के लोगों के साथ एक कब्ज़ाकारी सेना के जैसा व्यवहार किया। यह पाकिस्तानी सेना के व्यवहार से अलग नहीं था। हिन्दोस्तानी सेना ने बांग्लादेश में व्यापक तौर पर गुप्त–साज़िशें, नरसंहार और बमबारी किये।

अमरीकी खुफिया विभाग के गुप्त दस्तावेज़ों, जिनको हाल ही में सार्वजनिक किया गया है, उनसे पता चलता है कि हिन्दोस्तानी राज्य की यह भी योजना थी कि पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला करके उसके एक हिस्से को जब्त किया जाये। अमरीका को इसकी जानकारी हो गई और तब सोवियत संघ के माध्यम से हिन्दोस्तानी शासक वर्ग पर लगाम लगाई गई।

1971 के युद्ध और बांग्लादेश की उत्पत्ति ने हिन्दोस्तानी शासक वर्ग के साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा किया। उसकी वजह से हिन्दोस्तानी राज्य, सोवियत सामाजिक साम्राज्यवादियों के आर्थिक और सैन्य समर्थन के साथ, इस क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति बनने में सक्षम हुआ। उस युद्ध ने हिन्दोस्तानी राज्य के लिए कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के संघर्ष और लोगों के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को दबाने की अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दीं।

1971 में हिन्दोस्तान–सोवियत संधि पर हस्ताक्षर करके हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने अपने खुदगर्ज मंसूबों को हासिल करने के लिए, हिन्दोस्तान की संप्रभुता से समझौता किया। आज, उसी ख़तरनाक रास्ते पर चलते हुए, हिन्दोस्तानी शासक वर्ग अमरीका के साथ एक रणनीतिक सैन्य गठबंधन बना रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि हिन्दोस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए हिन्दोस्तानी शासक वर्ग पर भरोसा नहीं रखा जा सकता।

किसी भी देश को किसी भी बहाने, दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दख़ल देने का कोई अधिकार नहीं है। हिन्दोस्तान का सैन्य–हस्तक्षेप एक पड़ोसी देश पर आक्रमण था, उसके आंतरिक मामलों में एक क्रूर–हस्तक्षेप था। हिन्दोस्तानी लोगों को 1971 के युद्ध का जश्न मनाने का न कोई कारण है और न कोई ज़रूरत है।

http://hindi.cgpi.org/21706

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के 5वें महाअधिवेशन की रिपोर्ट

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध
(कीमत 100 रू. और डाक खर्च 40 रू.)
निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी,नई दिल्ली, खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :- ई-392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस-2, नई दिल्ली - 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की हड़ताल!

16–17 दिसंबर को बैंकों के कर्मचारी दो दिवसीय सर्व हिन्द हड़ताल पर उतरे। हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यू.एफ.बी.यू.) द्वारा किया गया था, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की नौ यूनियनें शामिल हैं। लगभग 9,00,000 बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की सेवाएं बंद हो गईं। इजारेदार पूंजीपति वर्ग अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनने के लिए, वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मालिकी को निजी हाथों में स्थानांतरित कर रहा है; अपनी हड़ताल के ज़रिये बैंक कर्मचारियों ने पूंजीपति वर्ग की इस राष्ट्र–विरोधी और समाज–विरोधी योजना को हराने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

यू.एफ.बी.यू. द्वारा हड़ताल का आह्वान तब किया गया, जब संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार द्वारा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित करने की घोषणा की गई। इस साल की शुरुआत में वित्तमंत्री ने 2021–2022 का बजट पेश करते हुये, यह घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या को 12 से घटाकर चार कर दिया जायेगा और उनमें से कम से कम दो का निजीकरण इस वर्ष कर दिया जाएगा। उस घोषणा के बाद से यू.एफ.बी.यू. के नेतृत्व में बैंक कर्मचारियों ने एक सर्व हिन्द अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों को यह समझाया कि बैंकों का निजीकरण कैसे और क्यों जनता और पूरे समाज के हितों के ख़िलाफ़ है। 1 दिसंबर से यू.एफ.बी.यू. "बैंक बचाओ, देश बचाओ" के बैनर तले संसद के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है।

1969 में जब 14 सबसे बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंक निजी मालिकी में थे। इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 2021 का बैंकिंग क़ानून संशोधन विधेयक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980 में संशोधन करेगा, जिसके तहत 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में भी संशोधन करेगा। इन संशोधनों के माध्यम से बैंकों के स्वामित्व को सार्वजनिक से निजी में स्थानांतरित करने के लिए क़ानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा।

निजीकरण की वकालत करने वालों का तर्क है कि निजी स्वामित्व वाले बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक लाभदायक हैं। वे इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की देश के कोने–कोने में बड़ी संख्या में ग्रामीण शाखाएं कार्यरत हैं। वे किसानों और छोटे स्तर के उद्यमों को ऋण देते हैं, जबकि निजी स्वामित्व वाले बैंकों को इसमें से कुछ भी करने की कोई बाध्यता नहीं है।

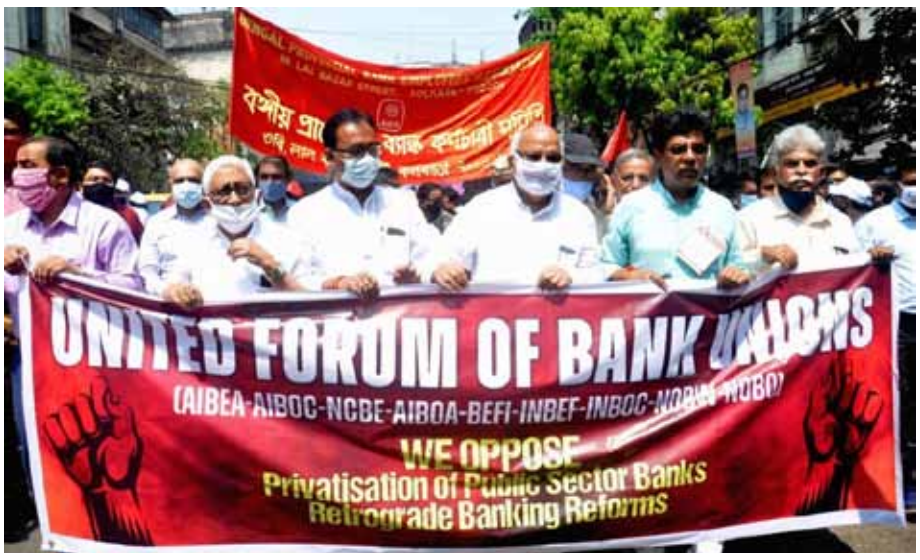

बंगाल में बैंक मज़दूरों का प्रदर्शन

निजीकरण के पक्ष में मुख्य तर्क दिया गया है कि सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों ने भारी गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एन.पी.ए.) जमा कर लिये हैं, यानी कि ये वह ऋण हैं जिन्हें चुकाया नहीं जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप सरकार को इन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर पैसा खर्च करना पड़ता है। निजीकरण का समर्थन करने वालों का दावा है कि निजी स्वामित्व वाले बैंक बड़े एन.पी.ए. नहीं होने देंगे और सरकार को बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर संसाधन खर्च नहीं करने होंगे।

निजी स्वामित्व वाले बैंकों के साथ वास्तविक अनुभव बार–बार बैंकिंग पतन की कहानी बताता है। 1949–1959 के दशक में बैंकों के पतन की संख्या हर साल औसतन 38 थी। वे 1960 और 1969 के बीच प्रत्येक वर्ष 30 थे। 1970 में निजी स्वामित्व वाले 50 बैंक थे, जिनकी संख्या 1995 तक घटकर 24 हो गई। वर्तमान में हिन्दोस्तान में 21 निजी स्वामित्व वाले बैंक हैं, जिनमें 10 वे हैं जो 1995 में निजी स्वामित्व वाले बैंक खोलने के नियमों का उदारीकरण किये जाने के बाद सामने आए हैं।

पिछले दो दशकों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने लगभग एक दर्जन निजी क्षेत्र के बैंकों को डूबने से बचाने के लिए उनका विलय बड़े और स्वस्थ बैंकों के साथ किया है। यस बैंक जो चौथा सबसे बड़ा निजी बैंक है वह 5 मार्च, 2020 को डूबने की हालत में पहुंच गया था, तब आर.बी.आई. ने बैंक में से पैसे निकालने की सीमा 50,000 रुपये कर दी थी। तीन साल की पुनर्गठन योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ने यस बैंक के प्रबंधन को संभालने के लिए निवेशकों के एक समूह के नेतृत्व में इस बैंक की ज़िम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक को सौंपी। पुनर्गठन के लिए पूंजी का बड़ा हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक से आया था। यस बैंक के बेलआउट को इस नारे के साथ जायज़ ठहराया गया कि निजी बैंकिंग की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये ज़रूरी है!

बैंकों के अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि सभी उन्नत पूंजीवादी देशों में, समय–समय पर कई निजी बैंकों के पतन के साथ आर्थिक संकट होते हैं, न केवल छोटे, बल्कि बहुत बड़े भी। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, 2008–2012 के दौरान अमरीका में 465 बैंक फेल हुये। उस समय निजी स्वामित्व वाले कई विशाल बैंकों को उबारने के लिए सरकारों द्वारा खरबों डॉलर के सार्वजनिक धन का उपयोग किया गया था – उन्हें ऐसा बताकर कि "वे इतने बड़े है कि उन्हें फेल नहीं होने दिया जा सकता है"। जिन बैंकों को इस तरह से बेलआउट किया गया, उनमें शामिल हैं जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टेनली बैंक के अलावा ब्रिटेन में लॉयड्स और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड शामिल हैं।

ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ एक बैंक – रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को उबारने के लिए केवल एक वर्ष में 45 बिलियन पाउंड (4.4 लाख करोड़ रुपये) खर्च किए। इसकी तुलना में, हिन्दोस्तान की सरकार ने 2008 से 2019 के बीच की 11 साल की अवधि में सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर 3.15 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

निजीकरण से बैंकों के दिवालिया होने की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। बल्कि इससे बैंकों के दिवालिया होने का ख़तरा बढ़ जायेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतम लाभ कमाने की निजी बैंकों के मालिकों की नीतियां, उन्हें बेहद जोखिम भरे उपक्रमों को उधार देने के लिए प्रेरित करती हैं। जब कोई ऐसा उपक्रम डूब जाता है, तो कर्ज़ लेने वाला पूंजीपति उसे चुकाने में असमर्थ हो जाता है। पूंजीवादी व्यापार चक्र में हर मंदी के परिणामस्वरूप दिये गये कर्ज़ बड़ी मात्रा में वापस नहीं मिलते हैं। इसके चलते कई बैंक डूब गए हैं।

फिर ऐसा क्यों है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण पर तुली हुई है, जबकि निजी स्वामित्व वाले बैंकों का अंतरराष्ट्रीय और हिन्दोस्तानी अनुभव बेहद ख़राब है?

हिन्दोस्तान के इजारेदार पूंजीपति बैंकों और अन्य वित्तीय कंपनियों द्वारा अर्जित किए जा रहे विशाल और बढ़ते मुनाफ़े पर अपनी लालची नज़रें गड़ाए हुए हैं। वे इन मुनाफ़ों में से सबसे बड़ा हिस्सा हड़पना चाहते हैं। यही है बैंकों के निजीकरण के कार्यक्रम का असली मक़सद।

पूंजीवाद के वर्तमान चरण की यह विशेषता है कि पूंजीपति बैंकिंग सहित हर क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़े निचोड़ने के लिये एकाधिकार की दिशा में जाना चाहते हैं। बैंकिंग को हर संभव तरीक़े से लोगों को लूटने की व्यवस्था में बदल दिया गया है। बैंक शेयरों, मुद्रा, बॉन्ड और कमोडिटी बाज़ारों में बेतहाशा सट्टा लगाते हैं और लोगों द्वारा बैंकों में जमा किए गए पैसे के साथ जुआ खेलते हैं। बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को कमीशन की पेशकश की जाती है और जमा राशि जुटाने, बीमा पॉलिसियों को बेचने, म्यूचुअल फंड आदि के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

जीवन के अनुभव से पता चलता है कि जब राज्य बैंकिंग को अपने नियंत्रण में भी ले लेता है, तब भी उससे बैंकिंग की पूंजीवादी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक खुद राज्य पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण है, राज्य के स्वामित्व वाले बैंक इजारेदारों की पूंजीवादी लालच को पूरा करने के लिए वाहन के रूप में काम करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा राज्य, जो पूंजीवादी शासन का अंग है, को मज़दूरों और किसानों के शासन के राज्य से बदल दिया जाए। ऐसा राज्य पूरी आबादी की बढ़ती भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग और पूरी अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्देशित करने में सक्षम होगा। तब बैंकिंग इजारेदार पूंजीवादी लालच को पूरा करने के लिए तैयार होने के बजाय सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करेगी।

अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण पूरी तरह से असामाजिक और राष्ट्र–विरोधी है। बैंक कर्मियों की यह मांग पूरी तरह से जायज़ है कि बैंकिंग समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्मुख होनी चाहिए, न कि पूंजीवादी मुनाफ़े को अधिकतम करने के लिए। निजीकरण के ख़िलाफ़ बैंक कर्मचारियों के संघर्ष को पूरे मज़दूर वर्ग और लोगों का समर्थन मिलना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/21696

गुजरात में बैंक मज़दूरों का प्रदर्शन

पंजाब में बैंक मज़दूरों का प्रदर्शन

वर्ष 2021 में मज़दूरों के संघर्षों की एक झलक :

शासक वर्ग के समाज-विरोधी हमलों का मज़दूरों द्वारा विरोध बढ़ा

वर्ष 2021 में मज़दूरों द्वारा अपनी रोज़ी–रोटी और अधिकारों की हिफ़ाजत में और अपने ऊपर बढ़ते शोषण के ख़िलाफ़ किये गये कई जुझारू संघर्ष देखे गए।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूर अपने अधिकारों पर लगातार हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ने के लिए बड़ी संख्या में एक साथ आए हैं। उन्होंने इस या उस राजनीतिक पार्टी या ट्रेड यूनियन से जुड़े होने के आधार पर, अपने बीच फूट डालने के सभी प्रयासों को जबरदस्त चुनौती दी है।

मज़दूरों ने चार नए श्रम–कानूनों (श्रम संहिताओं) के ख़िलाफ़ और अपने लंबे संघर्ष से हासिल किये गये अधिकारों से वंचित करने की साजिश के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। मज़दूरों द्वारा एक लम्बे संघर्ष द्वारा हासिल किये गये मूलभूत अधिकारों – जैसे कि आजीविका की सुरक्षा, यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार आदि को इन नए श्रम कानूनों के द्वारा छीना जा रहा है।

कई क्षेत्रों के मज़दूरों ने बेहतर मज़दूरी और अपने काम के हालातों में सुधार के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कंपनियों को बंद किये जाने और मज़दूरों की छंटनी किये जाने की धमकियों के ख़िलाफ़ लड़ाइयां लड़ीं।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के मज़दूर निजीकरण का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। बैंकिंग, बीमा, बिजली, रेलवे, स्टील, कोयला, हवाई अड्डे, एयर इंडिया, गोदी तथा बंदरगाह और रोडवेज़ आदि के सार्वजनिक क्षेत्रों के मज़दूरों ने जनता के पैसों से बनाई गई संपत्तियों के निजीकरण का डटकर विरोध किया। इन सार्वजनिक संपत्तियों को सरकार द्वारा सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों को कौड़ियों के दाम सौंपा जा रहा है ताकि वे बेशुमार मुनाफ़े कमा सकें और लोगों को लूट सकें। मज़दूरों ने सरकार के इन सभी प्रयासों का कड़ा विरोध किया है।

आंगनवाड़ी और आशा मज़दूरों ने उचित वेतन दिए जाने और सरकार द्वारा मज़दूर का दर्ज़ा दिये जाने की मांग को लेकर जबरदस्त संघर्ष किया। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने लिये बेहतर वेतन और काम के हालातों में सुधार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का ज़ोरदार विरोध किया। स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करके करोड़ों कामकाजी लोगों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने इन सबके ख़िलाफ़ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। शिक्षकों ने शिक्षा के निजीकरण की कोशिशों का जबरदस्त विरोध किया – शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण से देश के करोड़ों बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा उनकी पहुंच के बाहर हो जायेगी।

नीचे दिय लेख में हम 2021 में हुए कुछ महत्वपूर्ण संघर्षों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

बैंकों के मज़दूर

16–17 दिसंबर को देश के लगभग 9,00,000 मज़दूर दो दिवसीय सर्व हिन्द हड़ताल पर थे। इस हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यू.एफ.बी.यू.) ने किया था। बैंक मज़दूर, संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित करने के सरकार के फ़ैसले का विरोध कर रहे थे। इस देशव्यापी हड़ताल के माध्यम से बैंक कर्मचारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंपने के ख़िलाफ़ अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। बैंकों का निजीकरण पूंजीपति वर्ग की राष्ट्र–विरोधी और समाज–विरोधी योजना के तहत किया जा रहा है ताकि इजारेदार पूंजीपतियों को अधिकतम मुनाफा बनाने की सुविधा उपलब्ध हो सके। बैंक मज़दूरों ने लोगों को यह समझाने के लिए एक सर्व हिन्द अभियान चलाया है कि लोगों को बताया कि बैंकों का निजीकरण कैसे और क्यों जनता और पूरे समाज के हितों के ख़िलाफ़ है।

बैंक मज़दूरों के संघर्ष का ही परिणाम है कि सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को संसद के समक्ष नहीं रखने का फ़ैसला लिया।

बीमा क्षेत्र के मज़दूर

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी जनरल इन्श्योरेन्स के प्रस्तावित निजीकरण और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश (एफ.डी.आई.) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने ख़िलाफ़ बीमा क्षेत्र मज़दूर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने 17 मार्च, 2021 को सर्व हिन्द हड़ताल का आयोजन किया था।

रक्षा क्षेत्र के मज़दूर

हिन्दोस्तान के रक्षा उद्योग से जुड़े मज़दूर आयुध निर्माणी बोर्ड (ऑर्डनेन्स फैक्ट्री बोर्ड) के निगमीकरण का विरोध करते रहे हैं। सरकार ने आयुध कारखानों के मज़दूरों और अन्य रक्षा उद्योगों से जुड़े मज़दूरों के एकजुट विरोध को दरकिनार करते हुए निगमीकरण को लागू किया। जब मज़दूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी तो सरकार ने 30 जून को आवश्यक–रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 लागू कर दिया। जिसे बाद में 23 जुलाई, 2021 को संसद द्वारा एक क़ानून में पारित कर दिया गया। यह क़ानून रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठानों, सेवाओं, रखरखाव और संचालन में लगे मज़दूरों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। यह कानून हड़ताल पर जाने वाले मज़दूरों को नौकरी से बर्खास्तगी और उनकी गिरफ़्तारी तक की धमकी देता है।

सभी आयुध कारखानों और अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों के मज़दूरों ने इस अध्यादेश के ख़िलाफ़ अपने–अपने कार्यस्थलों पर विरोध प्रदर्शन किये। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में सरकारी कर्मचारी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के मज़दूर भी, रक्षा क्षेत्र के मज़दूरों के समर्थन में और उनके हड़ताल करने के अधिकार पर हमले के विरोध में आगे आए। पूरे देश में ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों ने 23 जुलाई को रक्षा क्षेत्र के मज़दूरों के समर्थन में प्रदर्शन किये।

बिजली क्षेत्र के मज़दूर

बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) के नेतृत्व में बिजली क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों ने 3 से 6 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में संसद के समक्ष चार दिवसीय हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने मांग की कि बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021, जिसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाना था, उसे रद्द किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र को बिजली क्षेत्र के सभी मौजूदा निजी लाइसेंस और फ्रेंचाइजी को रद्द करना चाहिए और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से वापस लेना चाहिए। इसके पहले 19 जुलाई को उन्होंने देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। उन्होंने लोगों को बिजली वितरण के निजीकरण के दुष्परिणामों को समझाने के लिए एक सर्व हिन्द अभियान चलाया है। विशेष रूप से बिजली क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों ने किसानों को यह समझाने के लिए अभियान चलाया कि, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सब्सिडी समाप्त करने की योजना बना रही है।

बिजली क्षेत्र से जुड़े सभी मज़दूरों के जुझारू संघर्ष को करने के दृढ़ संकल्प को देखते हुए सरकार ने अभी तक संसद में बिजली संशोधन विधेयक पेश नहीं किया है।

रेलवे के मज़दूर

रेलवे के निजीकरण की दिशा में उठाए जा रहे विभिन्न क़दमों के ख़िलाफ़ भारतीय रेल की विभिन्न श्रेणियों के मज़दूर – इंजन ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, ट्रैकमैन, गार्ड आदि – आंदोलन करते आ रहे हैं। वे अपने काम की अमानवीय परिस्थितियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। वे अपने वर्तमान कार्यभार को कम करने के लिए रिक्त पदों पर नए कर्मचारियों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। 7 से 9 दिसंबर तक ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया।

13–18 सितंबर के दौरान हजारों रेलकर्मियों ने देशभर में विरोध जुलूस और प्रदर्शन किए। वे केंद्र सरकार के 'मुद्रीकरण' कार्यक्रम के तहत भारतीय रेलवे की विभिन्न संपत्तियों के निजीकरण के फ़ैसले का विरोध कर रहे थे।

सड़क परिवहन के मज़दूर

हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में राज्यों के परिवहन मज़दूर अपने अधिकारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एम.एस.आर.टी.सी.) के मज़दूर, इस साल अक्तूबर में आयोजित हड़ताल में भाग लेने के लिए मज़दूरों पर मेस्मा लगाए जाने और अपने मज़दूर साथियों को निलंबित और बर्खास्त किये जाने का विरोध कर रहे हैं।

राजस्थान रोडवेज के मज़दूर, वेतन संशोधन और रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अक्तूबर में हड़ताल पर थे। तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन के मज़दूर, नवंबर में वेतन संशोधन और पिछले बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। ठेका मज़दूरों को नियमित करने की मांग को लेकर हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एच.आर.टी.सी.) के मज़दूर जून 2021 में हड़ताल पर थे।

आशा और आंगनवाडी मज़दूर

24 सितंबर, 2021 को देशभर में विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े लगभग एक करोड़ आशा और आंगनवाड़ी मजदूरों तथा सहायिकाओं, स्कूलों में मिड डे मील के रसोइयों और अन्य मज़दूरों ने सर्व हिन्द हड़ताल की।

आशा और आंगनवाड़ी मज़दूर मांग कर रही हैं कि उन्हें मज़दूर बतौर मान्यता दी जाए और उन्हें अन्य सुविधाओं जैसे कि बीमारी की छुट्टी, मातृत्व अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन, आदि के साथ–साथ कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए।

आशा से जुड़े मज़दूरों को इस समय नियमित कर्मचारियों की तरह निश्चित वेतन नहीं मिलता है। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। कोविड–19 की महामारी के दौरान उन्हें विशेष प्रोत्साहन देने का वादा किया गया था, जब वे पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के बिना, अपने जीवन और स्वास्थ्य को ख़तरे में डालकर, अक्सर लंबे समय तक काम कर रहे थे। लेकिन अभी तक उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अगस्त 2021 में आशा कार्यकर्ताओं ने अपने बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर नई दिल्ली में संसद के सामने एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया।

शेष अगले पृष्ठ पर

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Jan, 2022 Date of publish - 1 Jan, 2022

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

फॉक्सकॉन के मज़दूरों ने चेन्नई–बेंगलूरू महामार्ग को रोका

तमिलनाडु के श्री पेरंबदुर में बहुराष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन के हज़ारों मज़दूरों ने 17–18 दिसंबर को ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की। विरोध प्रदर्शन के कारण चेन्नई बेंगलूरू महामार्ग पर 18 घंटे से भी अधिक समय तक के लिये यातायात ठप्प रहा। इस विरोध प्रदर्शन ने तमिलनाडु सरकार को मज़दूरों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए तत्काल क़दम उठाने का वादा करने के लिए मजबूर कर दिया। मज़दूर एकता लहर को इस विरोध प्रदर्शन पर थोझिलर ओट्टुमई इयक्कम (मज़दूर एकता आंदोलन) की ओर से रिपोर्ट मिली है।

फॉक्सकॉन के 15,000 से अधिक मज़दूर 17 दिसंबर की शाम को अचानक हड़ताल पर चले गए। मज़दूरों में अधिकांश महिलाएं थीं। उन्होंने व्यस्तम सड़क चेन्नई–बेंगलूरू राष्ट्रीय महामार्ग पर यातायात को रोक दिया। मज़दूरों को जबरन खदेड़ने की सरकार की धमकियों के बावजूद मज़दूर 18 घंटे से अधिक समय तक वहां डटे रहे। तमिलनाडु सरकार द्वारा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सहमत होने के बाद ही मज़दूरों ने राष्ट्रीय महामार्ग की नाकाबंदी को समाप्त किया और यातायात फिर से शुरू हो सका।

तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदुर में स्थित फॉक्सकॉन एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय ताईवान में है और यह कई देशों में काम करती है। यह आईफोन और विभिन्न मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए मोबाइल फोन हैंडसेट और सहायक उपकरण बनाती है। इस कंपनी ने 15 हजार से अधिक मज़दूरों को अनुबंध के आधार पर रखा है – जिनमें से अधिकतम मज़दूर महिलायें हैं और कंपनी उनका बेरहम शोषण करके भारी मुनाफ़ा कमाती है।

इन मज़दूरों को बेहद कम वेतन दिया जाता है। मज़दूरों को ख़तरनाक परिस्थितियों में छोटे–छोटे कमरों में अधिक से अधिक संख्या में रहने को मजबूर किया जाता है। कभी–कभी 20–20 मज़दूरों को "हॉस्टल" नामक इमारतों के एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इन "हॉस्टलों" में मज़दूरों को बेहद घटिया भोजन दिया जाता है।

17 दिसंबर की शाम को होस्टल के बेहद घटिया भोजन की वजह से सैकड़ों मज़दूर बीमार हो गये और उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे। 250 से अधिक मज़दूर बुरी तरह प्रभावित हुये और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पतालों में अपने साथियों की स्थिति से चिंतित हजारों मज़दूरों ने हड़ताल कर दी और चेन्नई–बेंगलूरू महामार्ग पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

पुलिस और प्रशासन ने मज़दूरों को तितर–बितर करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करने की कोशिश की। लेकिन मज़दूरों ने अधिकारियों की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। "डाउन विद फॉक्सकॉन!, "मज़दूरों का शोषण करने के लिये फॉक्सकॉन को बंद करो!", जैसे नारे लगाते हुए, उन्होंने 18 घंटे से अधिक समय तक महामार्ग को रोके रखा।

संघर्ष को तितर–बितर करने की कोशिश में पुलिस ने फॉक्सकॉन के कई मज़दूरों और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन हजारों मज़दूरों के एकजुट प्रतिरोध की वजह से गिरफ़्तार किए गए सभी लोगों को रिहा करने के लिए, पुलिस को मजबूर होना पड़ा।

फॉक्सकॉन की हजारों महिला मज़दूरों की इस साहसिक विरोध कार्रवाई को पूरे तमिलनाडु में मज़दूरों और कार्यकर्ताओं का भारी समर्थन मिला। फॉक्सकॉन के मज़दूरों के समर्थन में सैकड़ों ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, छात्र और युवा सामने आए हैं। पूरे देश से लोगों के इस बढ़ते समर्थन का देखते हुए, तमिलनाडु सरकार ने फॉक्सकॉन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि मज़दूरों के

हॉस्टलों को ठीक से व्यवस्थित किया जाए और उनके लिये अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने जिला कलेक्टरों को मज़दूरों के मौजूदा हॉस्टलों की जांच करने का आदेश भी दिया है ताकि यह देखा जा सके कि फॉक्सकॉन और अन्य कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन कर रही हैं या नहीं। तमिलनाडु सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह मज़दूरों के लिए अच्छी सुविधाओं वाले बड़े हॉस्टल बनाएगी।

फॉक्सकॉन के मज़दूरों ने अपने संघर्ष में आंशिक जीत हासिल की है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना होगा कि किसी भी मज़दूर को संघर्ष में भाग लेने के लिए पुलिस, प्रशासन या कंपनी द्वारा उत्पीड़ित न किया जाये। उन्हें अपनी एकता की रक्षा करनी होगी और सभी ठेका मज़दूरों की नौकरियों को नियमित करने के लिए संघर्ष करना होगा।

http://hindi.cgpi.org/21709

वर्ष 2021 में मज़दूरों के संघर्षों की एक झलक

पृष्ठ 5 का शेष

पिछले एक साल में आशा मज़दूरों ने ओड़िशा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में अनेक हड़तालें और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। जून 2021 में वेतन में बढ़ोतरी और काम के नियमितीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर महाराष्ट्र में 70,000 मज़दूर हड़ताल पर थे।

डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य क्षेत्रों के मज़दूर

देश के विभिन्न हिस्सों में हुये कई संघर्षों में नर्सों, रेजिडेंट डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया है। उन्होंने काम के लंबे घंटों, काम करने की बहुत ही दयनीय हालतों, कम वेतन सहित अपनी अनेक समस्याओं को उजागर किया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों को अपने वेतन को पाने के लिए भी बार–बार हड़ताल करनी पड़ती है।

जुलाई की शुरुआत में पूरे मध्य प्रदेश राज्य में अस्पताल की नर्सें हड़ताल पर थीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) की नर्सें भी हड़ताल में शामिल हुईं। नर्सों ने अन्य लंबित मांगों के साथ, अपने वेतन में वृद्धि की मांग की।

पूरे उत्तर प्रदेश में एन.एच.एम. के तहत सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले सैकड़ों ठेका कर्मचारी दिसंबर, 2021 की शुरुआत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे।

हड़ताली कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के साथ वेतन समानता, वेतन–संशोधन, नौकरियों का नियमितीकरण, एक मानवीय स्थानांतरण नीति, कोविड–19 स्वास्थ्य बीमा का लाभ के साथ–साथ काम पर कोविड–19 से संक्रमित होने वाले मज़दूरों के लिए मुआवजा, आदि की मांग कर रहे थे।

इस बीच, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के तहत आयोजित दिल्ली और अन्य शहरों में डॉक्टर एन.ई.ई.टी. और पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे हैं, इस देरी के परिणामस्वरूप अस्पतालों में नए डॉक्टरों की भर्ती रुकी हुई है। वर्तमान में कार्यरत डॉक्टरों पर काम का बोझ बहुत ही बढ़ गया है।

शिक्षकों का संघर्ष

सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति और उच्च–शिक्षा के निजीकरण की ओर लिए जा रहे क़दमों के ख़िलाफ़ कई विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने यह भी मांग की कि वर्षों से खाली पड़े सभी पदों को नई नियुक्तियों से भरा जाए और अनुबंध और तदर्थ (एडहॉक) शिक्षकों को नियमित किया जाए।

दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में काम कर रहे शिक्षक कई महीनों का वेतन पाने के लिये अब तक संघर्ष कर हैं। अतिथि शिक्षक अपने वेतन में वृद्धि व नौकरी नियमित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

वर्ष 2021 में ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों ने मिलकर निजीकरण और उनके अधिकारों पर बढ़ते हमलों का विरोध करने के लिए कई संयुक्त मोर्चो पर एक साथ संघर्ष किया। अर्थव्यवस्था के वर्तमान दिशा, जो केवल इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिए बनाई गयी है न कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इसके ख़िलाफ़ संघर्ष में, मज़दूरों के बीच एकता दिन पर दिन बढ़ रही है। मज़दूरों के इस एकजुट संघर्ष का मक़सद होना चाहिए – एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना – जिसमें मज़दूर और किसान, जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, अपनी निर्णायक भूमिका अदा कर सकें और अर्थव्यवस्था की दिशा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाये।

http://hindi.cgpi.org/21715

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810187911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com